पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक ३३८७/अका./२००४

रायपुर, दिनांक 9.7.2004

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 7.7.2004 को 11.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थें-

1	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा, कुलपति	अध्यक्ष
2	डा एच.एल.प्रजापति	सदस्य
3	प्रोफेसर जी.एल.मूंदड़ा	सदस्य
4	श्री भागवत चन्द्राकर	सदस्य
5	प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ	सदस्य
6	प्रोफेसर आर.पी.दास	सदस्य
7	पं.रामसुन्दर दास महंत	सदस्य
8	प्रोफेसर एम.एल.नायक	आमंत्रित सदस्य
9	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	आमंत्रित सदस्य
10	प्रोफेसर एम.ए.खान	आमंत्रित सदस्य
11	श्री ए.मिंज	सचिव

कार्यवृत्त-

विषय क्रमांक 1 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दिये जाने के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर विधिक सलाह ली जावे और उसी अनुसार कार्यवाही की जावे।

विषय क्रमांक 2प्रतिनियुक्ति अधिकारियों के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिनियुक्ति अधिकारियों पर आने वाले अधिकारियों को रोकने के लिये राज्य विश्वविद्यालयीन अधिकारियों की पदोन्नति की कार्यवाही की जावे प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति शासन द्वारा न हो पावे। इस संबंध में राज्य शासन को पत्र लिखा जावे।

विषय क्रमांक 3 पद के विरूद्व सहायक कुलसचिव के कार्य संपादन के लिये नियुक्ति।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहायक कुलसचिव के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जावे तथा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कक्ष अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी कार्यवाही शासन स्तर पर करने हेतु लिखा जावे। वर्तमान में रिक्त पदों पर कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षकों की आवश्यकतानुसार सेवाएँ ली जायेगी। परीक्षा विभाग में दो वरिष्ठ अधीक्षकों को ओ.एस.डी. बनाया ~~जायेगा~~ जाए तथा जो इस पद पर कार्य कर रहे हैं उन्हें 31 जुलाई तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

विषय क्रमांक 4 वेतनमान देने के संबंध में।

निर्णय वेतनमान देने के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।

विषय क्रमांक 5 अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में।

निर्णय — स्वर्गीय दुलारी बाई एवं स्वर्गीय श्री हरीराम साहू के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश जारी किया जाय। श्री हरीराम साहू के आश्रित श्रीमती बुधियारिन बाई को योग्यता संबंधी छूट दी जाती है।

विषय क्रमांक 6 अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मचारियों को निम्न श्रेणी लिपिक बनाये जाने के संबंध में।

निर्णय — श्री पुरुषोत्तम कहार एवं श्री उमेश सिंह ठाकुर को भृत्य पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई थी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दोनों कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति दिनांक से निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया जाय।

विषय क्रमांक 7 वाहन भत्ता देने के संबंध में।

निर्णय — सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के परिसर में निवास करने वाले कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने के संबंध में पुर्नविचार करने हेतु समन्वय समिति में प्रकरण भेजा जाय। वित्त सचिव के जिस पत्र का हवाला देकर वाहन भत्ता रोका गया है उसी पत्र को संलग्न कर प्रस्ताव भेजा जाय एवं पत्र की एक प्रति अध्यक्ष, कर्मचारी संघ को दिया जावे।

विषय क्रमांक 8 चिकित्सा भत्ता देने के संबंध में।

निर्णय — सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चिकित्सा भत्ता रु.350/- से रु.500/- प्रति माह वृद्धि करने हेतु समन्वय समिति के समक्ष विचारार्थ भेजा जावे।

विषय क्रमांक 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में।

निर्णय — सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। मासिक वेतन/कन्टीन्जेंसी/नियमितीकरण के संबंध में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन से तत्संबंधी जारी परिपत्र के अनुसार शासन से स्वीकृति लेकर कार्यवाही कर लिया जाय।

विषय क्रमांक 10 शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में।

निर्णय — शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने के संबंध में सदस्य (सचिव, उच्च शिक्षा विभाग) ने प्रस्तावित किया कि अन्य विश्वविद्यालय से भी इस संबंध में जानकारी ली जावे। परन्तु सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि रु.2000/- अधिकतम शिक्षण शुल्क/मेंन्टनेन्स शुल्क/की प्रतिपूर्ति की जावे।

विषय क्रमांक 11 कर्मचारियों के लिये क्वार्टस निर्माण करने के संबंध में।

निर्णय — निर्णय लिया गया कि चार-चार क्वार्टस निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इसमें से दो क्वार्टर्स को मिलाकर अतिथि गृह बनाया जावेगा।

विषय क्रमांक 12 सायकल स्टेण्ड एवं शेड निर्माण करने के संबंध में।

निर्णय — सायकल स्टेण्ड एवं शेड का निर्माण हो रहा है।

विषय क्रमांक 13 स्वच्छकों को पदोन्नति के अवसर देने के संबंध में।

निर्णय — विभागीय पदोन्नति समिति गठित की गई है।

विषय क्रमांक 14 चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को योग्यता में छूट देकर लेब अटेण्ड के पदों में पदोन्नति देने के संबंध में।
निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति गठित की गई है।

विषय क्रमांक 15 बिना जांच के रोकी गई कर्मचारियों के वेतन वृद्धि तत्काल प्रदान की जावे।
निर्णय प्रभावित कर्मचारी कुलपति जी को अपील कर सकते है।

विषय क्रमांक 16 दैनिक वेतन/मस्टर रोल पर भर्ती हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रित बच्चो को प्राथमिकता देने के संबंध में।
निर्णय अकुशल दैनिक मजदूर पर आवश्यकतानुसार रखा जावेगा।

विषय क्रमांक 17 दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में।
निर्णय दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों/निकायों से भी जानकारी मांगी ली जावे तथा प्रकरण आगामी कार्यपरिषद में रखा जावे।

विषय क्रमांक 18 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में वृद्धि करने के संबंध में
निर्णय समन्वय समिति की स्थायी समिति की निर्णयानुसार उपलब्ध पदों के 50 प्रतिशत नये पद का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जावेगा।

विषय क्रमांक 19 अवैतनिक अवकाश को वापस करने के संबंध में।
निर्णय इस संबंध में प्रो.एम.एल.नायक एवं प्रो.एम.ए.खान की दो-सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। प्रकरण का निराकरण एक सप्ताह में कर दिया जायेगा।

निर्णयों पर एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही कर ली जायेगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

कुलपति कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 3352/अका/2004 रायपुर, 7.5.2004

प्रतिलिपि-

01 राज्यपाल के सचिव,राजभवन ,रायपुर ।
02 सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस.भवन ,रायपुर ।
03 सचिव,वित्त विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस.भवन ,रायपुर ।
04. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा,रायपुर
05 डॉ० एस सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर।
06 प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा, आचार्य, रसायन अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि.,रायपुर
07 डा हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महा.राजनांदगांव
08 डा अशोक कुमार [illegible], प्राचार्य, [illegible]

10 श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग
11 पं.रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर।
१२ डा डी.के.कटारिया, आयुर्वेदिक महाविद्यालय,रायपुर।
13. डा जी.डी.साव, प्राचार्य, शास.महाविद्यालय दुर्ग।
14. डा आर.पी.दास, आचार्य, एम.बी.ए.,पं.र.शु.वि.रायपुर।
१५. डॉ० एम.एल. नायक, आचार्य ,बायो-साईन्स अध्ययन शाला पं० र०शु०वि०वि० रायपुर !
१६. डॉ० ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं०र०शु०वि०वि. रायपुर ।
१७ डा एम.ए.खान, आचार्य, इतिहास अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.रायपुर
१८. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
१९ वित्तअधिकारी/आवासीयअंकेक्षणपं.र.शु.वि.वि.रायपुर/उपकुलसचिवअकादमिक/उपकुलसचिव गोपनीय/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रशासन, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/ सेमेस्टर परीक्षा, विश्वविद्यालय यंत्री,पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि.,रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव